रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052023-246145
CG-DL-E-29052023-246145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2255]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945
No. 2255]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

(आय-कर)

का.आ. 2352(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 246 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ई-अपील स्कीम, 2023 है ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं – (1) इस स्कीम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(i) "अधिनियम" से आय-कर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ii) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ;

(iii) "अपील" से अधिनियम की धारा 246 की उपधारा (1) या धारा 246क के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपील अभिप्रेत है ;

(iv) "अपीलार्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 246 या धारा 246क के अधीन अपील फाइल करता है ;

(v) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है ;

(vi) "स्वतः आबंटन प्रणाली" से संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिकी टूल्स, जिसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग है, का उपयोग करके मामलों का यादृच्छिक आबंटन हेतु एल्गोरिधम अभिप्रेत है ;

(vii) "कंप्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है ;

(viii) "अपीलार्थी के कंप्यूटर संसाधन" में आय-कर विभाग के अभिहित पोर्टल या मोबाईल एप्प जो रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रीकृत ई-मेल अकाउंट से संबद्ध है, में अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत अकाउंट सम्मिलित होगा ;

(ix) "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है ;

(x) "अभिहित पोर्टल" से प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान महा निदेशक या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा वैब पोर्टल के रूप में अभिहित अभिप्रेत है ;

(xi) "ई-अपील" से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत अकाउंट के माध्यम से 'ई-अपील' सुविधा में इलैट्रानिकी रूप से संचालित अपीलीय कार्यवाहियां अभिप्रेत है ;

(xii) "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ;

(xiii) "ई-मेल" या "इलैक्ट्रानिक मेल" और "इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज" से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति, जिसके अंतर्गत किसी टेक्सट, इमेज, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी अभिलेख में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसको संदेश के साथ पारेषित किया जा सकता है ;

(xiv) "मोबाइल एप्प" से मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित आय-कर विभाग को अनुपयोग साफ्टवेयर अभिप्रेत होगा, जिसको आवेदक के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर पर डाउनलोड और प्रतिष्ठापित किया जाता है ;

(xv) "राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र" से पहचान विहीन अपील स्कीम, 2021 के अधीन स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र होगा ;

(xvi) "वास्तविक समय सतर्कता" से अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर पर लघु संदेश सेवा के माध्यम से या उसकी मोबाइल एप्प पर अपडेट के माध्यम से या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से भेजा गई कोई संसूचना अभिप्रेत है, जिससे उसे किसी इलैक्ट्रानिटी संसूचना के परिदान के संबंध में सतर्क किया जा सके ;

(xvii) अपीलार्थी के "रजिस्ट्रीकृत अकाउंट" से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग अकाउंट अभिप्रेत है ;

(xviii) "रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता" से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर प्रेषिती को कोई इलैक्ट्रानिकी संसूचना परिदत्त या पारेषित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत –

(क) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलैट्रानिकी फाइलिंग अकाउंट में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ख) प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ग) प्रेषिती से संबंधित स्थायी लेखा संख्यांक, डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(घ) प्रेषिती के कोई व्यष्टि होने की दशा में, जिसके पास आधार नंबर है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता ; या

(ङ) प्रेषिती के कोई कंपनी होने की दशा में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की शासकीय वेब साइट में उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता ; या

(च) प्रेषिती द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया ई-मेल पता, सम्मिलित हैं ;

(xix) "रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर" से अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर अभिप्रेत है जो अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रोनिक फाइलिंग अकाउंट की उपयोगकर्ता प्रोफाइल में उपदर्शित होता है ;

(xx) "नियम" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है ; और

(xxi) "वीडियो कोंफ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी" से उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न अवस्थानों पर वास्तविक समय में लोगों के बीच संचार के लिए ओडियो-वीडियो संकेतों की प्राप्ति और पारेषण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अभिप्रेत हैं ;

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

3. स्कीम का विस्तार – स्कीम सिवाय धारा 246 की उपधारा (6) के अधीन अपवर्जित मामलों के, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग, मामलों या मामलों के वर्ग, जो अधिनियम की उस धारा के अधीन आते हैं, के संबंध में अपीलों के लिए लागू होगी ।

4. स्कीम के अधीन अपील प्राधिकारी – (1) संयुक्त आयुक्त (अपील) [जिसे इसमें इसके पश्चात् जेसीआईटी (अपील) कहा गया है] उसके समक्ष फाइल की गई अपील या उसे आबंटित या अंतरित की गई अपील का इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार निपटान करेगा ।

(2) जेसीआईटी (अपील) के पास अपीलों के निपटान में सहायता करने के लिए, ऐसा आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या सलाहकार होंगे, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाए ।

5. अपीलों का आबंटन – यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुमोदन से, जेसीआईटी (अपील) को पैरा 3 में निर्दिष्ट अपीलों के यादृच्छिक आबंटन या अंतरण के लिए प्रक्रिया तैयार करेगा ।

6. अपील की प्रक्रिया – (1) पैरा 3 में निर्दिष्ट अपील का निपटान जेसीआईटी (अपील) द्वारा इस स्कीम के अधीन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(I) जेसीआईटी (अपील), किसी अपील को सौंपे जाने पर,-

(क) यदि अपील अधिनियम की धारा 249 के अधीन अनुज्ञात समय से परे फाइल की गई है तो अपील फाइल करने में विलंब को माफ कर सकेगा और खंड (IX) के अधीन पारित अपील आदेश में ऐसे माफ करने या अन्यथा के कारणों को लेखबद्ध करेगा ;

(ख) अपीलार्थी को नोटिस देगा, जिसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर अपनी दलील प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और ऐसे नोटिस की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ;

(ग) अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति से और सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त कर सकेगा ;

(घ) अपील या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य के आधारों पर निर्धारण अधिकारी से रिपोर्ट अभिप्राप्त कर सकेगा ;

(ङ) अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (4) के अधीन निर्धारण अधिकारी से और जांच करने का और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकेगा ;

(च) अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी को, विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर, यथास्थिति, ऐसी सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस की तामील कर सकेगा, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या अपीलीय कार्यवाहियों से सुसंगत हों ;

(II) यथास्थिति, अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति खंड (I) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (च) में यथा अपेक्षित प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय या ऐसी विस्तारित तारीख और समय के भीतर, इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए, जो जेसीआईटी (अपील) को प्रस्तुत करेगा ;

(III) निर्धारण अधिकारी खंड (I) के उपखंड (घ), उपखंड (ङ) या उपखंड (च) के अधीन यथा अपेक्षित रिपोर्ट, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय या ऐसी विस्तारित तारीख और समय के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो जेसीआईटी (अपील) को इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए ;

(IV) अपीलार्थी जेसीआईटी (अपील) को उसके द्वारा पारित अपील में, ऐसे आधारों का लोप किए जाने के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए अपील के अतिरिक्त आधार ऐसे प्ररूप में फाइल कर सकेगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(V) जब अपील के लिए अतिरिक्त आधार फाइल किया जाता है,-

(क) जेसीआईटी (अपील) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 200क के अधीन या किसी ऐसे अन्य मामले में, जहां अपील योग्य आदेश केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा पारित कोई आदेश है, पारित आदेश की दशा में, ऐसे अतिरिक्त आधारों को स्वीकार करेगा ।

(ख) किसी अन्य मामले में, जेसीआईटी (अपील) अतिरिक्त आधार को टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रदान करने के लिए निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ;

(ग) निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी विस्तारित तारीख और समय के भीतर, जो इस निमित्त को किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए, जेसीआईटी (अपील) अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ;

(घ) जेसीआईटी (अपील) निर्धारण अधिकारी से प्राप्त टिप्पणियां, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्,-

(अ) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील के ज्ञापन से ऐसे अतिरिक्त आधार का लोप जानबूझकर नहीं था या पर्याप्त कारण थे, ऐसे अतिरिक्त आधार को स्वीकार करेगा ; या

(आ) किसी अन्य दशा में खंड (IX) के अधीन पारित अपील आदेश में कारणों को लेखबद्ध करते हुए अतिरिक्त आधार को स्वीकार नहीं करेगा ;

(VI) अपीलार्थी, उसके द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के प्रक्रम में प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न अतिरिक्त साक्ष्य को जेसीआईटी (अपील) को ऐसे प्ररूप में, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट करते हुए कि उसका मामला किस प्रकार नियमों के नियम 46क के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आपवादिक परिस्थितियों के अधीन आता है, प्रस्तुत कर सकेगा ;

(VII) जब अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है,-

(क) जेसीआईटी (अपील) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क के अधीन या किसी अन्य मामलें में, जहां अपील किया जा सकने वाला आदेश, केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा पारित कोई आदेश है, पारित आदेशों की दशा में ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करेगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में, जेसीआईटी (अपील) अतिरिक्त साक्ष्य को नियमों के नियम 46क के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य की अनुज्ञेयता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ;

(ग) निर्धारण अधिकारी उपखंड (ख) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को ऐसे तारीख और समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, या ऐसी विस्तारित तारीख और समय के भीतर, जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए, जेसीआईटी (अपील) को प्रस्तुत करेगा ;

(घ) जेसीआईटी (अपील) निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य और रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कारणों को लेखबद्ध करते हुए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा और वह खंड (IX) के अधीन पारित अपील आदेश का एक भाग बनेगा ;

(ङ) जेसीआईटी (अपील) यदि ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करता है, ऐसे साक्ष्य को अपील कार्यवाहियों में गणना में लेने से पूर्व ऐसे साक्ष्य की जांच करने या ऐसे साक्ष्यों की प्रति परीक्षा करने के लिए जैसा कि

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाए या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी साक्ष्य या दस्तावेज या किन्हीं साक्ष्यों के साक्ष्य या साक्षियों का खंडन करने के लिए निर्धारण अधिकारी अवसर प्रदान करने हेतु को एक नोटिस तैयार करेगा और उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे नोटिस को निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ;

(च) निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी विस्तारित तारीख और समय, जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार अनुज्ञात किया जाए, जेसीआईटी (अपील) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(छ) निर्धारण अधिकारी जेसीआईटी (अपील) को अपीलार्थी द्वारा किसी दस्तावेज या साक्ष्य को प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की जांच करने, जो अपीलीय कार्यवाहियों से सुसंगत हों, का निदेश देने का अनुरोध कर सकेगा ;

(ज) जेसीआईटी (अपील) खंड (I) के उपखंड (ग) या उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट अपीलीय कार्यवाहियों में जांच करने के प्रयोजनों के लिए या जब उपखंड (छ) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त किया जाता है, यदि वह ठीक समझता है तो –

(अ) अपीलार्थी को ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य, जो वह विनिर्दिष्ट करें, प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए ; या

(आ) किसी अन्य व्यक्ति, जो साक्षी है, की परीक्षा करने के लिए ;

नोटिस भेज सकेगा ;

(झ) यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य व्यक्ति उपखंड (ज) में निर्दिष्ट नोटिस का प्रत्युत्तर नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और समय या ऐसी विस्तारित तारीख और समय, जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, जेसीआईटी (अपील) को प्रस्तुत करेगा ;

(VIII) जब जेसीआईटी (अपील) किसी निर्धारण या किसी शास्ति में वृद्धि करने या प्रतिदाय की रकम को कम करने का आशय रखता है,-

(क) जेसीआईटी (अपील), यथास्थिति, ऐसी वृद्धि या कम करने के कारणों को अंतर्विष्ट करते हुए एक हेतुक उपदर्शित करने का नोटिस तैयार करेगा और नोटिस की अपीलार्थी को तामील करेगा ;

(ख) अपीलार्थी, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर या इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर ऐसी तारीख और बढ़ाए गए समय तक जो अनुज्ञात किया जाए, जेसीआईटी (अपील) को अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(IX) जेसीआईटी (अपील), इसके पश्चात् निम्नलिखित करेगा, -

(क) अधिनियम की धारा 251 के उपबंधों के अनुसार कोई अपील आदेश, अवधारण के लिए बिंदुओं, उन पर लिए गए विनिश्चय और विनिश्चय के कारणों का कथन करते हुए, लिखित में तैयार करेगा; और

(ख) अपीलार्थी को ऐसा आदेश डिजिटल रुप से हस्ताक्षर करने के पश्चात् शास्ति की कार्यवाहियों के ब्यौरों सहित, यदि कोई है, प्रारंभ लिए जाने के लिए भेजेगा;

(ग) 250 की उपधारा (7) के अनुरुप, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसा आदेश संसूचित करेगा;

(घ) ऐसा आदेश निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए संसूचित करेगा जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो;

(ड.) जहां आदेश में शास्ति के प्रारंभ की सिफारिश की गई हो, वहां अपीलार्थी पर नोटिस की तामील यह कारण दर्शाने के लिए करेगा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उस पर शास्ति अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर, यदि आवश्यक समझी जाए, अधिनियम की धारा 120 के अनुसार किसी आदेश द्वारा ऐसे जेसीआईटी (अपील) जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, को हस्तांरित की जा सकेगी ।

7. शास्ति कार्यवाहियां – (1) जेसीआईटी (अपील), अपील कार्यवाहियों के अनुक्रम में, इस स्कीम के अधीन जारी किसी नोटिस, निदेश या आदेश की, यथास्थिति, अपीलार्थी की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर-अनुपालना के लिए अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस की तामील किसी शास्ति कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के लिए यह कारण बताने के लिए करेगा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उस पर शास्ति अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(2) यथास्थिति, अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति इस पैरा के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस या पैरा 6 की उपधारा (1) के खंड (ix) के उपखंड (ड.) का उत्तर ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर या ऐसे विस्तारित समय और तारीख के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, जेसीआईटी (अपील) को प्रस्तुत करेगा।

(3) जेसीआईटी (अपील), रिकार्ड पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को विचार में लेने के पश्चात्, जिसके अंतर्गत यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर भी हैं, यदि कोई हो, -

(क) शास्ति आदेश तैयार करेगा और डिजिटल रुप से इसे हस्ताक्षर करने के पश्चात् ऐसे आदेश की एक प्रति तामील करेगा; या

(ख)लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए शास्ति छोड़ देगा या उसकी सूचना यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को और निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए भेजेगा जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो ।

8. सुधार कार्यवाहियां – (1) रिकार्ड पर प्रत्यक्ष किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए जेसीआईटी (अपील), अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा पारित किसी आदेश को लिखित में जारी किए जाने वाले किसी आदेश द्वारा सुधार सकेगा ।

(2) इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप पैरा (1) में निर्दिष्ट त्रुटि के सुधार के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित द्वारा जेसीआईटी (अपील) को फाइल किया जा सकेगा :-

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति; या

(ख) निर्धारण अधिकारी।

(3) जेसीआईटी (अपील), आवेदन की जांच करेगा और निम्नलिखित को सुनवाई का अवसर देने के लिए नोटिस भेजेगा, -

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को, जहां आवेदन निर्धारण अधिकारी द्वारा फाइल किया गया है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी को, जहां आवेदन यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया है, यह कारण बताने के लिए कि क्यों न अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन त्रुटि का सुधार कर देना चाहिए ।

(4) यथास्थिति, अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी, उप-पैरा (3) में यथानिर्दिष्ट नोटिस का उत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर या ऐसे विस्तारित तारीख और समय के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(5) जेसीआईटी (अपील), यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी द्वारा आवेदन और उत्तर को विचार में लेने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा निम्नलिखित करेगा, --

(क) त्रुटियों का सुधार; या

(ख) लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए सुधार के लिए आवेदन को निरस्त करना ।

(6) जेसीआईटी (अपील), डिजिटल रुप से इसे हस्ताक्षर करने के पश्चात् आदेश निम्नलिखित को भेजेगा, -

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति; और

(ख) निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए जो अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन अपेक्षित हो ।

9. अपीली कार्यवाहियां -(1) इस स्कीम के अधीन जेसीआईटी (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आयकर अपील अधिकरण के समक्ष होगी जिसके पास अपीलार्थी निर्धारिती के निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता पर क्षेत्राधिकार हो ।

(2) इस स्कीम के पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां जेसीआईटी (अपील) द्वारा पारित कोई आदेश अपास्त हो जाता है और आयकर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जेसीआईटी (अपील) को वापस

भेज दिया जाता है वहां ऐसा आदेश इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार और कार्रवाई करने के लिए जेसीआईटी (अपील) को समनुदेशित किया जाएगा ।

10. इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा संसूचना का आदान-प्रदान करना – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,

(क) जेसीआईटी (अपील) और अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के मध्य सबै संसूचनाओं का आदान-प्रदान, जहां तक प्रौद्योगिक रुप से संभव हो, इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा किया जाएगा; और

(ख) जेसीआईटी (अपील) और यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के मध्य सभी आंतरिक संसूचनाओं का आदान-प्रदान इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा किया जाएगा ।

11. इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का अधिप्रमाणन – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए कोई इलैक्ट्रानिक रिकार्ड निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा, -

(i) जेसीआईटी (अपील), पैरा 6 के उपपैरा (1) के खंड (ix) या पैरा 7 के उप पैरा (3) के अधीन या पैरा 8 के उप पैरा (5) के अधीन पारित किए गए आदेश की दशा में, अपने डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके;

(ii) अपीलार्थी या अन्य व्यक्ति द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन या अभिहित पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉगिन द्वारा;

स्पष्टीकरण :- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 12 के उप नियम (3) में है ।

12. इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का परिदान –(1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना अपीलार्थी होने के नाते पाने वाले को निम्न प्रकार परिदत्त की जाएगी, -

(क) अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत खाते में उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि रखकर; या

(ख) अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति भेजकर; या

(ग) अपीलार्थी की मोबाइल ऐप पर द्वारा एक अधिप्रमाणित प्रतिलिपि अपलोड करके इसके पश्चात तत्काल सचेतक द्वारा ।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना निर्धारिती को,कोई अन्य व्यक्ति होने के नाते, ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति भेजकर इसके पश्चात तत्काल सचेतक द्वारा परिदत्त की जाएगी ।

(3) अपीलार्थी, इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का अपना उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से प्रस्तुत करेगा और एक बार जब अभिस्वीकृति, उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर भेजी जाती है तब उत्तर अधिप्रमाणित हुआ समझा जाएगा ।

(4) इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का पारेषण और प्राप्ति का स्थान और समय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

13. स्कीम के अधीन वैयक्तिकउपस्थिति का न होना – (1) इस स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में किसी व्यक्ति को वैयक्तिक रुप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) यथास्थिति, अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकेगा ताकि वह अपने मौखिक कथन कर सके या अपने मामले को जेसीआईटी (अपील) के समक्ष प्रस्तुत कर सके और संबंधित जेसीआईटी (अपील) वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध अनुज्ञात करेगा और अपीलार्थी को सुनवाई की तारीख और समय संसूचित करेगा ।

(3) ऐसी सुनवाई, बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जहां तक प्रोद्योगिकी रुप से संभव हो, या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत किसी टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रयोग भी है जो या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता हो संचालित की जाएगी, ।

(4) अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति का कथन अभिलिखित करने या कोई परीक्षा इस स्कीम के अधीन जेसीआईटी (अपील) द्वारा बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जहां तक प्रोद्योगिकी रुप से संभव हो, अनन्य रूप से या वीडियो

टेलीफोनी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत किसी टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रयोग भी है जो या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता हो, संचालित की जाएगी

(5) बोर्ड, के लिए या वीडियो टेलीफोनी के लिए उपयुक्त सुविधा एं जिसके अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर भी है, जो वीडियो संगोष्ठी या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता हो, ऐसे अवस्थानों पर जो आवश्यक हो, स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति को इस स्कीम के अधीन फायदे से केवल इस आधार पर वंचित न किया जाए कि ऐसे अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के पास वीडियो संगोष्ठी या वीडियो टेलीफोनी तक पहुंच नहीं है ।

14. राष्ट्रीय पहचानविहीन आयकर अपील केंद्र के प्रधान मुख्य आयुक्त के कृत्य – प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र),इस स्कीम के अधीन स्थापित जेसीआईटी (अपील) के कार्यालय के प्रभावी कार्यकरण के लिए, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा,अर्थात् :-

(i) ई-अपील स्कीम से मामलों का अंदर हस्तांतरण और बाहर हस्तांतरण करना;

(ii) एक जेसीआईटी (अपील) से दूसरे को मामलों का हस्तांतरण करना;

(iii) अपीलों के आबंटन के लिए,यदि अपेक्षित हो, प्रक्रियाएँ बनाने हेतु आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर महानिदेशक के साथ समन्वय करना;

(iv) नोटिसों या पत्रों के प्रारुपों का अनुमोदन करना;

(v) विभिन्न प्रक्रियाओं और वीडियो संगोष्ठी संचालित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करना; और

(vi) बोर्ड द्वारा समय-समय पर समनुदेशित कोई अन्य प्रक्रियात्मक कृत्य करना ।

15. प्रारुप, ढंग, प्रक्रिया और प्रोसेस विनिर्दिष्ट करने की शक्ति –आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर महानिदेशक,(प्रणाली) राष्ट्रीय आयकर पहचान विहीन अपील केंद्र के प्रधान मुख्य आयुक्त के परामर्श से, यदि अपेक्षित हो, इस स्कीम के अधीन स्थापित जेसीआईटी (अपील) के कार्यालय के प्रभावी कार्यकरण के लिए बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, स्वचालित और यांत्रिक वातावरण,जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्रारुप, ढंग,प्रक्रिया और प्रोसेस मानक भी हैं, अधिकथित करेगा, अर्थात् :-

(i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील;

(ii) किसी नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में व्यक्ति से किसी सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;

(iv) ई-अपील सुविधा , जिसके अंतर्गत खाता लॉगिन सुविधा, अपील की प्रास्थिति ट्रैक करना, सुसंगत ब्यौरे उपदर्शित करना और डाउनलोड की सुविधा भी है, का उपबंध करना;

(v) सूचना और उत्तर तक पहुंच, सत्यापन और अधिप्रमाणन करना, जिसके अंतर्गत अपील कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी हैं;

(vi) किसी केंद्रीकृत रीति में दस्तावेजों या जानकारी की प्राप्ति, भंडारण और पुनर्प्राप्ति; और

(vii) बोर्ड द्वारा समय –समय पर समनुदेशित कोई अन्य कृत्य;

16. अधिनियम के उपबंधों का लागू होना – इस स्कीम में यथाउपबंधित के सिवाय, अधिनियम की धारा 2 के खंड (28गक), धारा 120, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 134, धारा 136, धारा 140, धारा 154, धारा 155, धारा 282, धारा 282क, धारा 283, धारा 284, अध्याय 20 और अध्याय 21 और अधिनियम के अन्य उपबंध, इस स्कीम के अधीन जेसीआईटी (अपील) द्वारा अपील के निपटान में प्रक्रिया को लागू होंगे ।

[अधिसूचना सं. 33/2023/फा. सं. 370142/10/2023-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, संयुक्त संचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2023

(INCOME-TAX)

S.O. 2352(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 246 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the e-Appeals Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

(i) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(ii) "addressee" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(iii) "appeal" means appeal filed by a person under sub-section (1) of section 246 or section 246A of the Act;

(iv) "appellant" means the person who files appeal under section 246 or section 246A of the Act;

(v) "authorised representative" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act;

(vi) "automated allocation system" means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to optimise the use of resources;

(vii) "computer system" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (l) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(viii) "computer resource of appellant" shall include the registered account in the designated portal of the Income-tax Department, or the Mobile App linked to the registered mobile number or the registered e-mail account of the appellant;

(ix) "digital signature" shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(x) "designated portal" means the web portal designated as such by the Principal Chief Commissioner of Income-tax or the Principal Director General or the Director General of Income-tax, (Systems);

(xi) "e-appeal" means the appellate proceedings conducted electronically in 'e-appeal' facility through the registered account of the appellant in the designated portal;

(xii) "electronic record" shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(xiii) "e-mail" or "electronic mail" and "electronic mail message" means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;

(xiv) "Mobile app" shall mean the application software of the Income-tax Department developed for mobile devices which is downloaded and installed on the registered mobile number of the appellant;

(xv) "National Faceless Appeal Centre" shall mean the National Faceless Appeal Centre as set up and notified under the Faceless Appeal Scheme, 2021;

(xvi) "real time alert" means any communication sent to the appellant, by way of Short Messaging Service on his registered mobile number, or by way of update on his Mobile App, or by way of an e-mail at his registered e-mail address, so as to alert him regarding delivery of an electronic communication;

(xvii) "registered account" of the appellant means the electronic filing account registered by the appellant in the designated portal;

(xviii) "registered e-mail address" means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including-

(a) the e-mail address available in the electronic filing account of the addressee registered in the designated portal; or

(b) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or

(c) the e-mail address available in the permanent account number database relating to the addressee; or

(d) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India; or

(e) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of the Ministry of Corporate Affairs; or

(f) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority;

(xix) "registered mobile number" means the mobile number of the appellant, or his authorised representative, appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the appellant in the designated portal;

(xx) "Rules" means the Income-tax Rules, 1962; and

(xxi) "video conferencing or video telephony" means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Scope of the Scheme.— The Scheme shall apply to appeals, in respect of such persons or class of persons, incomes or class of incomes, cases or class of cases, as covered under section 246 of the Act except the cases excluded under sub-section(6) of that section.

4. Appeal Authority under the Scheme.–(1) The Joint Commissioner (Appeals) [hereinafter referred to as the JCIT (Appeals)], shall dispose of the appeals filed before it or allocated or transferred to it, in accordance with the provisions of this Scheme.

(2) The JCIT (Appeals) shall have such income-tax authority, ministerial staff, executive or consultant to assist in the disposal of appeals, as may be considered necessary by the Board.

5. Allocation of appeals.-The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income tax (Systems), as the case may be, shall, with the approval of the Central Board of Direct Taxes, devise a process to randomly allocate or transfer the appeals, referred to in paragraph 3, to the JCIT(Appeals).

6. Procedure in appeal.—(1) The appeal referred to in paragraph 3 shall be disposed of by the JCIT(Appeals) under this Scheme as per the following procedure, namely:—

(I) On assignment of an appeal, the JCIT (Appeals),—

(a) may condone the delay in filing appeal if the appeal is filed beyond the time permitted under section 249 of the Act and record the reasons for such condonation or otherwise in the appeal order passed under clause (IX);

(b) shall give notice to the appellant asking him to file his submission within the date and time specified in such notice and also send a copy of such notice to the Assessing Officer;

(c) may obtain further information, document or evidence from the appellant or any other person;

(d) may obtain a report of the Assessing Officer on grounds of appeal or information, document or evidence furnished by the appellant;

(e) may request the Assessing Officer for making further inquiry under sub-section (4) of section 250 of the Act and submit a report thereof;

(f) shall serve a notice upon the appellant or any other person, or the Assessing Officer to submit such information, document or evidence or report, as the case may be, as may be specified by it or relevant to the appellate proceedings, on a specified date and time;

(II) the appellant or any other person, as the case may be, shall furnish response as required in sub-clauses (b), (c) or (f) of clause (I), within the date and time specified therein, or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the JCIT (Appeals);

(III) the Assessing Officer shall furnish a report as required under sub-clauses (d), (e) or (f) of clause (I), within the date and time specified therein or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the JCIT (Appeals);

(IV) the appellant may file additional grounds of appeal to the JCIT (Appeals), in such form, as may be specified, specifying therein the reason for omission of such grounds in the appeal filed by him;

(V) where the additional ground of appeal is filed,—

(a) the JCIT (Appeals) shall admit such additional ground in case of orders passed under sub-section (1) of section 143 of the Act or under section 200A of the Act or in any other case where the appealable order is an order passed by the Central Processing Centre;

(b) in any other case, the JCIT (Appeals) shall send the additional ground to the Assessing Officer for providing comments if any;

(c) the Assessing Officer shall furnish their comments, within the date and time specified or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the JCIT (Appeals);

(d) the JCIT (Appeals) shall, after taking into consideration the comments, if any, received from the Assessing Officer,—

(A) if he is satisfied that the omission of such additional ground from the memorandum of appeal was not wilful or there was sufficient cause, admit the additional ground; or

(B) in any other case, for reasons to be recorded in writing in the appeal order passed under clause (IX) not admit the additional ground;

(VI) the appellant may furnish additional evidence, other than the evidence produced by him during the course of proceedings before the Assessing Officer, to the JCIT (Appeals), in such form, as may be specified, specifying therein as to how his case is covered by the exceptional circumstances specified in sub-rule (1) of rule 46A of the Rules;

(VII) where the additional evidence is furnished,—

(a) the JCIT (Appeals) shall admit such additional evidence in case of orders passed under sub-section (1) of section 143 of the Act or under section 200A of the Act or any such case where the appealable order is an order passed by the Central Processing Centre;

(b) in any other case, the JCIT (Appeals) shall send the additional evidence to the Assessing Officer for furnishing a report on the admissibility of additional evidence in accordance with rule 46A of the Rules;

(c) the Assessing Officer shall furnish the report, as referred to in sub-clause (b), within such date and time as specified or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the JCIT (Appeals);

(d) the JCIT (Appeals) may, after considering the additional evidence and the report, if any, furnished by the Assessing Officer admit or reject the additional evidence, for reasons to be recorded in writing, and the same shall form a part of the appeal order passed under clause (IX);

(e) the JCIT (Appeals) shall, if he admits such evidence, before taking such evidence into account in the appellate proceedings, prepare a notice to provide an opportunity to the Assessing Officer to examine such evidence or to cross-examine such witness, as may be produced by the appellant, or to produce any evidence or document, or any witness in rebuttal of the evidence or witness produced by the appellant, and furnish a report thereof and send such notice to the Assessing Officer;

(f) the Assessing Officer shall furnish the report within the date and time specified or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the JCIT (Appeals);

(g) the Assessing Officer may request the JCIT (Appeals) to direct the production of any document or evidence by the appellant, or the examination of any witness, as may be relevant to the appellate proceedings;

(h) the JCIT (Appeals) for the purposes of making enquiries in the appeal proceedings as referred to in sub-clauses (c) or (e) of clause (I) or where the request referred to in sub-clause (g) is received, may, if it deems fit, send a notice –

(A) directing the appellant to produce such document or evidence, as it may specify; or

(B) for examination of any other person, being a witness;

(i) the appellant or any other person, as the case may be, shall furnish his response to the notice referred to in sub-clause (h), within the date and time specified in the notice or such extended date and time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, to the JCIT (Appeals);

(VIII) where the JCIT (Appeals) intends to enhance an assessment or a penalty or reduce the amount of refund,—

(a) the JCIT (Appeals) shall prepare a show-cause notice containing the reasons for such enhancement or reduction, as the case may be, and shall serve the notice upon the appellant;

(b) the appellant shall, within the date and time specified in the notice or such extended date and time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, furnish his response to the JCIT (Appeals).

(IX) The JCIT (Appeals) shall, thereafter,—

(a) prepare in writing, an appeal order in accordance with the provisions of section 251 of the Act stating the points for determination, the decision thereon and the reason for decision; and

(b) send such order after signing the same digitally to the appellant along with the details of the penalty proceedings, if any, to be initiated therein;

(c) communicate such order to the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner in the line with sub-section (7) of section 250 of the Act;

(d) communicate such order to the Assessing Officer for such action as may be required under the Act;

(e) where initiation of penalty has been recommended in the order, serve a notice upon the appellant calling upon him to show cause as to why penalty should not be imposed upon him under the relevant provisions of the Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the appeal may be transferred at any stage of the appellate proceedings, if considered necessary, by an order in accordance with section 120 of the Act, to such JCIT (Appeals) as may be specified in the order.

7. Penalty proceedings– (1) The JCIT (Appeals) may, in the course of appeal proceedings, for non-compliance of any notice, direction or order issued under this Scheme on the part of the appellant or any other person, as the case may be, send a notice to the appellant or any other person for initiation of any penalty proceedings calling upon them to show cause as to why penalty should not be imposed upon him under the relevant provisions of the Act.

(2) The appellant or any other person, as the case may be, shall furnish a response to the show-cause notice referred to in sub-paragraph (1) of this paragraph or in sub-clause (e) of clause (IX) of sub-paragraph (1) of paragraph 6, within the date and time specified in such notice or such extended date and time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, to the JCIT (Appeals).

(3) The JCIT (Appeals) shall, after taking into account all the relevant material available on the record, including the response furnished, if any, by the appellant or any other person, as the case may be, —

(a) prepare a penalty order and serve a copy of such order after digitally signing the same; or

(b) for reasons to be recorded in writing, drop the penalty and send an intimation thereof,

to the appellant or any other person, as the case may be, and the Assessing Officer, for such action as may be required under the Act.

8. Rectification Proceedings. – (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record the JCIT (Appeals) may amend any order passed by it in accordance with the provisions of the Act, by an order to be passed in writing.

(2) Subject to the other provisions of this Scheme, an application for rectification of mistake referred to in sub-paragraph (1) may be filed with the JCIT (Appeals) by,—

(a) the appellant or any other person, as the case may be; or

(b) the Assessing Officer.

(3) The JCIT (Appeals) shall examine the application and send the notice for granting an opportunity to,–

(a) the appellant or any other person, as the case may be, where the application has been filed by the Assessing Officer; or

(b) the Assessing Officer where the application has been filed by the appellant or any other person, as the case may be,

calling upon them to show cause as to why rectification of mistake should not be carried out under the relevant provisions of the Act.

(4) The appellant or any other person, as the case may be, or the Assessing Officer shall furnish a response to the notice, as referred to in sub-paragraph (3), within the date and time specified therein, or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf.

(5) The JCIT (Appeals) shall, after taking into consideration the application and response, if any, furnished by the appellant or any other person, as the case may be, or the Assessing Officer by an order in writing**, —**

(a) rectify the mistakes; or

(b) for reasons to be recorded in writing, reject the application for rectification.

(6) The JCIT (Appeals) shall send the order after digitally signing it to,—

(a) the appellant or any other person, as the case may be; and

(b) the Assessing Officer for such action as may be required under the relevant provisions of the Act.

9. Appellate Proceedings.–(1) An appeal against an order passed by the JCIT (Appeals) under this Scheme shall lie before the Income Tax Appellate Tribunal having jurisdiction over the jurisdictional Assessing Officer of the appellant assessee.

(2) Subject to the provisions of paragraph 3 of the Scheme, where any order passed by the JCIT (Appeals) is set-aside and remanded back to the JCIT (Appeals) by the Income Tax Appellate Tribunal or High Court or Supreme Court, the order shall be assigned to a JCIT (Appeals) for further action in accordance with the provisions of this Scheme.

10. Exchange of communication by electronic mode.—For the purposes of this Scheme,—

(a) all communications between the JCIT (Appeals) and the appellant, or his authorised representative, shall be exchanged by electronic mode, to the extent technologically feasible; and

(b) all internal communications between the JCIT (Appeals), the Assessing Officer and the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner, as the case may be, shall be exchanged by electronic mode.

11. Authentication of electronic record.— For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by,—

(i) the JCIT (Appeals), in case of order passed under clause (IX) of sub-paragraph (1) of paragraph 6 or under sub-paragraph (3) of paragraph 7 or under sub-paragraph (5) of paragraph 8, by affixing his digital signature;

(ii) the appellant or any other person, by affixing his digital signature or under electronic verification code or by logging into his registered account in the designated portal;

Explanation. – For the purposes of this paragraph, "electronic verification code" shall have the same meaning as referred to in sub-rule (3) of rule 12 of the Rules.

12. Delivery of electronic record.—(1) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being the appellant, by way of,—

(a) placing an authenticated copy thereof in the appellant's registered account; or

(b) sending an authenticated copy thereof to the registered e-mail address of the appellant or his authorised representative; or

(c) uploading an authenticated copy on the Mobile App of the appellant followed by a real time alert.

(2) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being any other person, by sending an authenticated copy thereof to the registered e-mail address of such person followed by a real time alert.

(3) The appellant shall furnish his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, through his registered account, and once an acknowledgement is sent upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authenticated.

(4) The time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

13. No personal appearance under the Scheme .—(1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme.

(2) The appellant or his authorised representative, as the case may be, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the JCIT (Appeals) and the concerned JCIT (Appeals) shall allow the request for personal hearing and communicate the date and time of hearing to the appellant.

(3) Such hearing shall be conducted through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board.

(4) Any examination or recording of the statement of the appellant or any other person shall be conducted by the JCIT (Appeals) under this Scheme, exclusively through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board.

(5) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing or video telephony including telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the appellant, or his authorised representative, or any other person is not denied the benefit of this Scheme merely on the ground that such appellant or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing or video telephony at his end.

14. Functions of the Principal Chief Commissioner of Income-tax National Faceless Appeal Centre.—The Principal Chief Commissioner of Income-tax (National Faceless Appeal Centre), with the prior approval of Board, for the effective functioning of the Office of the JCIT (Appeals) set-up under this Scheme, shall perform the following functions, namely:—

(i) transfer in and transfer out of cases from e-appeal Scheme;

(ii) transfer of cases from one JCIT(Appeals) to another;

(iii) co-ordinate with the Principal Director General or Director General of Income tax (Systems) for devising processes for allocation of appeals, if required;

(iv) approval of Formats of notices or letter;

(v) issuing Standard Operating Procedures for various processes and for conducting Video Conference; and

(vi) any other procedural function assigned by the Board from time to time.

15. Power to specify format, mode, procedure and processes.—The Principal Director General or the Director General of Income-tax (Systems) shall, in consultation with the Principal Chief Commissioner of Income-tax National Faceless Appeal Centre, if required, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the Office of the JCIT (Appeals) set-up under this Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes with the prior approval of the Board, in respect of the following, namely:—

(i) service of the notice, order or any other communication;

(ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;

(iii) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;

(iv) provision of "e-appeal" facility including login account facility, tracking status of appeal, display of relevant details, and facility of download;

(v) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the appellate proceedings;

(vi) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner; and

(vii) any other function assigned by the Board from time to time.

16. **Application of provisions of the Act.-** Save as otherwise provided in this Scheme, the provisions of clause (28CA) of section 2, section 120, section 129, section 131, section 133, section 134, section 136, section 140, section 154, section 155, section 282, section 282A, section 283, section 284, Chapter XX and Chapter XXI, and other provisions of the Act, shall apply to the procedure in disposal of appeal by the JCIT (Appeals) under this Scheme.

[Notification No. 33/2023/F.No. 370142/10/2023-TPL]

RAMAN CHOPRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA